फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सोहनलाल

किस्म मुकदमा – 251"क" रा.का. अधिनियम

विपक्षी : तहसीलदार भीण्डर

पत्रावली संख्या : 18/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 29.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रकरण के अवलोकन से पाया कि प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1526, 1527 कुल किता 2 रकबा 0.1900 हैक्टयर भूमि में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 1924 भूमि में से होकर 30 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए नहीं होना बताया है। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता है। उक्त रास्ता 1924 रकबा क्रमशः 0.0800 है. में से 0.0070 है. रास्ता (चौडाई 5 मीटर लम्बाई 14 मीटर होकर डीएलसी दर 1782474/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 12480/– रूपये होना बताया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में बिलानाम भूमि है। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता है जिससे रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतित होता है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

…नस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वाना पटवार हल्का वाना तहसील भीण्डर की आराजी नम्बर 1526, 1527 कुल किता 2 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1924 रकबा क्रमशः 0.0800 है. में से 0.0070 है. रास्ता (चौडाई 5 मीटर लम्बाई 14 मीटर) संलग्न (प्रस्तावित) नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 1782474/– अक्षरे सत्रह लाख बयियासी हजार चार सौ चमौतर रूपयें प्रति हक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0070 है. की कुल कीमत 12480/– का दुगुना 24960/– रूपयें चौइस हजार नौ सौ साठ रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी को अदा करने के पश्चात इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.06.13 16:24:02 IST
Reason: SelfAttested